



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 29.09.2023

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी टाटा मैजिक बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी टाटा मैजिक बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-पंकज पुत्र रमेश निवासी ग्राम जोनमाना थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता रधुनाथ कालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-यामीन पुत्र यासीन निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 10 किलोग्राम अवैध गांजा ।
- तरकरी में प्रयुक्त 01 गाड़ी टाटा मैजिक नं० UP-50BT-2993

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री रजत कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 99 मुनीष शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-है०का० 368 गौरव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-का० 478 अजित कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7-का० 467 टिंकू अधाना थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 29-09-2023

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 155/23 धारा
323/504/506/307/316 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27-09- 2023 को थाना बालैनी पर वादी सत्तार पुत्र बजीरा निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-आसिफ पुत्र सलामू , 2 - गुलफाम पुत्र सलामू , 3-सलामू व 01 महिला निवासीगण ग्राम हमीदाबाद उर्फ नयागांव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।



इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 155/23 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 307/316 भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 155/23 धारा 323/504/506/307/316 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र सलामू नि वासी ग्राम हमीदाबाद उर्फ नयागाँव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0418 परमजीत थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 29.09.2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 205/23 धारा 341/307/427 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2023 को थाना बिनौली पर वादी विक्की पुत्र रामपाल नि वासी ग्रा म आरिफपुर खेडी थाना बिनौली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.अंशुल पुत्र मुकेश व 2.निखिल पुत्र यशपाल निवासीगण बरवाला थाना



रमाला जनपद बागपत व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी गाडी को रास्ते में रोककर जान से मारने की नियत से फायर किया । जिससे गाडी में बैठे वादी व वादी का साथी आशीष पुत्र शिवकुमार नि वासी ग्राम जौहडी बाल -बाल बचे तथा गोली से गाडी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 205/23 धारा 341/307/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/23 धारा 341/307/427 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अंशुल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-निखिल पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री राम अवतार सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-का0 343 पुरुषोत्तम कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।